कार्यालय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण के सूचनार्थ विज्ञप्ति प्रसारित है कि शासन ने अपने पत्र संख्या–1613/15–7–2020–1(29)/20 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग – 7 दिनांक 18 अगस्त, 2021 के द्वारा कोरोना वायरस (कोविड–19) के कारण उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों के दृष्टिगत माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा परीक्षा वर्ष 2022 की बोर्ड परीक्षा के संस्थागत/व्यक्तिगत छात्र/छात्राओं के परीक्षा आवेदन पत्रो एवं शैक्षिक सत्र 2021–22 में कक्षा – 9 एवं 11 के छात्र/छात्राओं के अग्रिम पंजीकरण हेतु माध्यमिक शिक्षा परिषद के विनियमो में उल्लिखित विभिन्न तिथियों को निम्नानुसार सशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त के क्रम में सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित नवीन संशोधित तिथियों के अनुरूप सत्र 2021–22 में कक्षा–9/11 के अग्रिम पंजीकरण एवं परीक्षा वर्ष 2022 के कक्षा–10 एवं 12 के संस्थागत/व्यक्तिगत अभ्यर्थियों के प्रवेश लेने एवं परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन अपलोड कराये जाने सम्बन्धी कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

प्रधानाचार्यो को निर्देशित किया जाता है कि कक्षा–9/11 के अग्रिम पंजीकरण कार्य एवं वर्ष 2022 की कक्षा–10/12 की परीक्षाओं के संस्थागत/व्यक्तिगत आवेदन पत्रों को भराते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एवं कोविड–19 के बचाव हेतु शासन की गाइड लाइन्स का अक्षरशः पालन उनके द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा :–

संस्थागत छात्र/छात्राओं के प्रवेश एवं संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षा के आवेदन पत्रों को भरने हेतु	**नवीन अन्तिम तिथि**
1– संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा छात्र/छात्राओं का कक्षा–10 एवं 12 में प्रवेश लेने तथा परीक्षा शुल्क प्राप्त करने की अन्तिम तिथि।	15 सितम्बर,,2021 तक
2– संस्था के प्रधान द्वारा समस्त अर्ह छात्र/छात्राओं से प्राप्त परीक्षा शुल्क को एक मुश्त चालान के माध्यम से कोषागार में जमा करने की अन्तिम तिथि।	22 सितम्बर,2021 तक
3– संस्था के प्रधान द्वारा कोषागार में जमा किये गये परीक्षा शुल्क की सूचना तथा छात्र/छात्राओं के शैक्षिक विवरणों को परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर ऑनलाइन अपलोड करने की अन्तिम तिथि।	06 अक्टूबर,2021 तक (मध्यरात्रि 12.00 बजे तक)
4– 22 सितम्बर के पश्चात प्रति छात्र रुपया 100/– (एक सौ मात्र) विलम्ब शुल्क के साथ परीक्षा शुल्क चालान के माध्यम से कोषागार में जमा करने की अन्तिम तिथि।	23 सितम्बर से 29 सितम्बर,2021 तक 100/– रु0 प्रति छात्र विलम्ब शुल्क के साथ कोषागार में जमा कराने की अन्तिम तिथि 29 सितम्बर,2021 तक।
5– विलम्ब शुल्क के साथ जमा परीक्षा शुल्क की सूचना तथा	09 अक्टूबर,2021 तक

छात्र/छात्राओ के शैक्षिक विवरण वेबसाइट पर आनलाइन अपलोड करने की अन्तिम तिथि।	(मध्यरात्रि 12.00 बजे तक)
6- वेबसाइट पर आनलाइन अपलोड किये गये छात्र/छात्राओं के विवरणो की चेकलिस्ट प्राप्त कर संस्था के प्रधान द्वारा उनके विवरणों (नाम, माता/पिता का नाम, जन्मतिथि, विषय, फोटो आदि) को भली भांति चेक (जाँच) करने की अवधि। इस अवधि में वेबसाइट पर किसी भी प्रकार का अपडेशन प्रतिबन्धित रहेगा।	10 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 2021 तक
7- ऑनलाइन अपलोड किये गये छात्रों के विवरणों मे जांचोपरान्त यदि किसी प्रकार का संशोधन वांछित है तो उसे संस्था के प्रधान द्वारा पुनः वेबसाइट पर संशोधित/अपडेट करने की अवधि। इस अवधि में किसी नवीन छात्र का विवरण अपलोड/स्वीकार नहीं किया जायेगा। केवल संशोधन ही स्वीकार किये जायेगें।	14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर, 2021 तक (मध्यरात्रि 12.00 बजे तक)
8 संस्था के प्रधान द्वारा पंजीकृत अभ्यर्थियों की फोटोयुक्त नामावली एवं तत्सम्बन्धी कोषपत्र की एक प्रति परिषद के क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजे जाने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जमा कराने की अन्तिम तिथि।	25 अक्टूबर,2021 तक।

कक्षा–9 एवं 11 के छात्र/छात्राओं का अग्रिम पंजीकरण हेतु	**नवीन अन्तिम तिथि**
1- कक्षा-9 एवं 11 मे छात्र/छात्राओं के प्रवेश की अन्तिम तिथि	15 सितम्बर,2021 तक
2- संस्था के प्रधान द्वारा कक्षा-9 एवं 11 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के अग्रिम पंजीकरण शुल्क रु0 50/- (रुपये पचास मात्र) प्रति छात्र की दर से चालान के माध्यम से कोषागार में एकमुश्त जमा करने एवं जमा किये गये पंजीकरण शुल्क की सूचना तथा छात्र/छात्राओं के शैक्षिक विवरणों को परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर ऑनलाइन अपलोड करने की अन्तिम तिथि।	06. अक्टूबर,2021 तक (मध्यरात्रि 12.00 बजे तक)
3- वेबसाइट पर आनलाइन अपलोड किये गये छात्र/छात्राओं के विवरणों की चेकलिस्ट प्राप्त कर संस्था के प्रधान द्वारा उनके विवरणो (नाम, माता/पिता का नाम, जन्मतिथि, विषय, फोटो आदि) को भली-भांति चेक (जाँच) करने की अवधि। इस अवधि में वेबसाइट पर किसी भी प्रकार का अपडेशन प्रतिबन्धित रहेगा।	07 अक्टूबर से 09 अक्टूबर, 2021 तक।
4- ऑनलाइन अपलोड किये गये छात्रों के विवरणों में जांचोपरान्त यदि किसी प्रकार का संशोधन वांछित है तो उसे संस्था के प्रधान द्वारा पुनः वेबसाइट पर संशोधित/अपडेट करने की अवधि। इस अवधि में किसी नवीन छात्र का विवरण अपलोड/स्वीकार नहीं किया जायेगा। केवल संशोधन ही स्वीकार किये जायेगें।	10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर, 2021 तक (मध्यरात्रि 12.00 बजे तक)
5- संस्था के प्रधान द्वारा पंजीकृत अभ्यर्थियों की फोटोयुक्त नामावली एवं तत्सम्बन्धी कोषपत्र की एक प्रति परिषद के क्षेत्रीय	25 अक्टूबर,2021 तक।

कार्यालयों को भेजे जाने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जमा कराने की अन्तिम तिथि।	

वर्ष 2022 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का विवरण –

क्रम	परीक्षा	संस्था0/व्यक्ति	परीक्षा शुल्क	अंकपत्र शुल्क	अग्रसारण शुल्क	योग (रु0पै0)	प्रधानाचार्य के प्रयोगार्थ	कोषागार में जमा की जाने वाली परीक्षा शुल्क की धनराशि
1	**हाईस्कूल**	संस्थागत	**500.00**	**1.00**	------	**501.00**	**0.25**	**500.75**
2	हाईस्कूल क्रेडिट सिस्टम	संस्थागत	200.00	1.00	------	201.00	0.25	200.75
3	हाईस्कूल	व्यक्तिगत	**700.00**	**1.50**	**5.00**	**706.50**	**0.50**	**706.00**
4	हाईस्कूल क्रेडिट सिस्टम	व्यक्तिगत	300.00	1.50	5.00	306.50	0.50	**306.00**
5	हाईस्कूल विनियम के अन्तर्गत अतिरिक्त विषय की परीक्षा हेतु	व्यक्तिगत	200.00 (प्रति विषय)	1.50	5.00	206.50	0.50	**206.00**
1	**इण्टरमीडिएट**	संस्थागत	**600.00**	**1.00**	------	**601.00**	**0.25**	**600.75**
2	इण्टरमीडिएट कृषि (भाग–१ एवं २) एवं व्यावसायिक वर्ग	संस्थागत	**600.00**	**1.00**	------	**601.00**	**0.25**	**600.75**
3	इण्टरमीडिएट	व्यक्तिगत	**800.00**	**1.50**	**5.00**	**806.50**	**0.50**	**806.00**
4	इण्टरमीडिएट कृषि (भाग–१ एवं २) एवं व्यावसायिक वर्ग के अनुत्तीर्ण छात्र	व्यक्तिगत	**800.00**	**1.50**	**5.00**	**806.50**	**0.50**	**806.00**
5	इण्टरमीडिएट विनियम के अन्तर्गत अतिरिक्त विषय की परीक्षा हेतु	व्यक्तिगत	200.00 (प्रति विषय)	1.50	5.00	206.50	0.50	206.00

छात्र/छात्राओं के प्रमाणपत्रों/अंकपत्रों में नाम/माता का नाम/पिता का नाम शुद्ध मुद्रित हो इसके लिए प्रत्येक छात्र/छात्रा के विवरणों को उनके अभिभावक/कक्षाध्यापक एव प्रधानाचार्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करके परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। छात्र/छात्रा के नाम/माता के नाम/पिता के नाम में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए अभिभावक/कक्षाध्यापक/प्रधानाचार्य उत्तरदायी होंगे। अतः सभी विवरणों को सही ढंग से अपलोड कराया जाना अपेक्षित है।

(दिव्यकान्त शुक्ल)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या–मा0शि0प0 / सिस्टम सेल / 255 (1-8) दिनांक 18 अगस्त,2021

उपर्युक्त विज्ञप्ति की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– प्रदेश के समस्त दैनिक समाचार पत्र के सम्पादकों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि विज्ञप्ति जनहित से सम्बन्धित है। अतएव इसे अपने दैनिक समाचार पत्र के समस्त संस्करणों में प्रमुख स्थान पर निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

2– अनु सचिव शिक्षा–7 अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

3– अपर शिक्षा निदेशक (पत्राचार), पत्राचार शिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

4– अपर शिक्षा निदेशक (मा0) उत्तर प्रदेश, शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज।

5– वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (मा0), शिविर कार्यलय, 18 पार्क रोड, प्रयागराज।

6– समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक / उप शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।

7– अपर सचिव, मा0शि0प0, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ / बरेली / प्रयागराज / वाराणसी / गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे अपने स्तर से भी इसका व्यापक प्रचार प्रसार करायें।

8– समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित हैं कि विज्ञप्ति अपने जनपद मे व्यापक रूप से प्रसारित करायें। संस्था के प्रधान द्वारा सभी अभ्यर्थियों के परीक्षा शुल्क का कोषपत्र 5 प्रतियों में तैयार करके अपने ही जनपद के कोषागार में जमा किया जायेगा। कोषपत्र की दो प्रति कोषागार में, एक प्रति जिला विद्यालय निरीक्षक के पास, एक प्रति नामावली के साथ परिषद कार्यालय को प्रेषित की जायेगी तथा एक प्रति संस्था के प्रधान द्वारा विद्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा जनपद के समस्त संस्था से संकलित कोषपत्रों का सत्यापन अधिकतम एक माह के अन्दर कोषागार से कराया जायेगा, सत्यापन की वस्तुस्थिति / संस्तुति से परिषद के सम्बन्धित क्षेत्रीय सचिव को अवगत कराया जायेगा। संस्था के प्रधान द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात वेबसाइट से डाउनलोड की गयी नामावली तथा कोषपत्र की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित करने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जमा की जायेगी।

(दिव्यकान्त शुक्ल)
सचिव।